न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJodhpur075RLR011Devendra Chanda etc Vs Collector Jodhpur etc

1. देवेन्द्र चाण्डा पुत्र लूणकरण चाण्डा जाति ब्राह्मण
   निवासी चाण्डा की हवेली, नथावतों का चौक
   फलोदी, जिला जोधपुर
2. रोशनलाल व्यास पुत्र बंशीलाल व्यास जाति ब्राह्मण
   निवासी ग्राम पंचायत कुण्डल, पंचायत समिति फलोदी
   जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ड्स

ब

ना

म

1. जिला कलेक्टर, जिला जोधपुर
2. तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर
3. ग्राम पंचायत कुण्डल, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश जिला कलेक्टर, जोधपुर दिनांक 16 मई 2018 एवं उसके अनुसरण में स्वीकृत म्युटेशन संख्या 1926 दिनांक 25 जून 2018

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री मनोज बोहरा, अधिवक्ता अपीलाण्ड्स
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 व दो
श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3

नि र्ण य

दिनांक : 06 नव., 2019

अपीलाण्ड्स ने विद्वान जिला कलेक्टर, जोधपुर के आदेश दिनांक 16 मई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अदालत हाजा के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 19 जुलाई 2019 को पेश की गयी है। विद्वान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी फलोदी के पत्र कमांक पीए/विविध/2018/1117 दिनांक 16 मई 2018 के अनुसार ग्राम पंचायत कुण्डल में एयरफोर्स सबस्टेशन के लिए भूमि अवाप्त होने के बाद वहाँ से विस्थापित परिवारों, जो समीप स्थिति आगोर भूमि खसरा संख्या 523 में बसे हुए है, को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्देशानुसार अन्यत्र आबादी भूमि में प्रतिस्थापित करने के लिए अपीलाधीन आदेश कमांक प.12(3-)राज/आवण्टन/18/1695 दिनांक 16 मई 2018 पारित करते हुए, पूर्व में पारित आदेश कमांक प.12(3-)राजस्व आरक्षण/2011/7063 दिनांक 24 अगस्त 2011 के जरिये फलोदी के विकास हेतु फलोदी मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों में ग्राम कुण्डल की भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित की गयी खसरा संख्या 473 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से 7 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी फलोदी के पत्र कमांक 1117 दिनांक 16 मई 2018 के साथ संलग्न नक्शा अनुसार सेट-अपार्ट से मुक्त कर शेष आदेश दिनांक 24 अगस्त 2011 यथावत रखा।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने अपील-मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रियासत काल से ही गोचर भूमि रही है तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रभाव

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में आने के समय वादग्रस्त भूमि सहित आस-पास की सभी भूमियों का नाप कर खसरा नम्बरान कायम किये गये, इसी कम में पट्टा संवत 1965 की 11 बीघा 14 बिस्वा भूमि के खसरा नम्बर 473 कायम किये गये, संबंधित पट्टा संवत 1965 की नकल, हिन्दी रूपान्तरण, वर्तमान खसरा संख्या 473 की नकल नक्शा-ट[a]स आदि अपील के साथ प्रस्तुत किये गये है। नकल नक्शा-ट[a]स के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि खसरा संख्या 473 के उत्तर एवं पूर्व दिशा में प्रेमसुखदास एवं शंकरलाल चाण्डा के खेत खसरा संख्या 471 एवं 472 स्थित है। जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी फलोदी के पत्र कमांक 16 मई 2018 के आधार पर पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला दिया है। मगर उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 13467/2016 में पारित निर्णय दिनांक 20 दिसम्बर 2016 में ग्राम कुण्डल के खसरा संख्या 523 आगोर की भूमि को अतिकमण मुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये, किन्तु जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर वेणीदत्त व अन्य द्वारा एक अवमानना याचिका संख्या 834/2017 दायर की गयी, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर 2018 को यह निर्देश दिये गये कि उक्त आगोर (खसरा संख्या 523) की भूमि में बसे हुए गरीब तबके के व्यक्तियों को अन्यत्र आबादी क्षेत्र में भूखण्ड आवण्टित कर उन्हें प्रतिस्थापित किया जावे। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला दिया गया है, जो कतई सम्भव नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा यह भी जाहिर किया गया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश के खिलाफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जनहित याचित संख्या 18850/2018 दायर की गयी, जो अदालत हाजा में अपील पेश करने के निर्देश के साथ दिनांक 10 जुलाई 2019 को खारिज कर दी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने दृढतापूर्वक कथन किया कि खसरा संख्या 473 की भूमि प्रारम्भ से ही गोचर भूमि रही है, ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में होने के कारण किसी भी सूरत में इसे आबादी प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया जा सकता है और न ही आबादी हेतु सेट-अपार्ट किया जा सकता है। विद्वान जिला कलेक्टर द्वारा जितना रकबा चारागाह भूमि से कम करके आबादी हेतु सेट-अपार्ट किया गया है, अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व उतना रकबा अन्य खसरा की भूमि चारागाह हेतु सेट-अपार्ट नहीं की गयी है, इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 7 का उल्लंघन होने के कारण भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 92 के तहत भूमि सेट-अपार्ट करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्राप्त है, मगर जो भूमि पूर्व में सेट-अपार्ट की जा चुकी है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 92 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर को प्राप्त नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनाक 08 अक्तूबर 2018 को पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों का हवाला देते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 मई 2018 पारित किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलाधीन आदेश पश्चातवर्ती तारीख (बैक-डेट) में पारित किया गया है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जगपालसिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रतिकूल होने के कारण भी खारिज किये जाने का निवेदन किया। मियाद के बिन्दु पर अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के खिलाफ पहले माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पेश की गयी थी, जोमाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2019 को अदालत हाजा में अपील पेश करने के निर्देश देते हुए निस्तारित की गयी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में आलौच्य अपील दिनांक 19 जुलाई 2019 को अदालत हाजा में पेश कर दी गयी है।

जबाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पो. संख्या तीन के अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। खसरा संख्या 473 की सम्पूर्ण भूमि सरकारी कार्यालयों के लिए आरक्षित की गयी थी, उसमें से अपीलाधीन आदेश के जरिये 7 बीघा भूमि खसरा संख्या 523 के गरीब तबके के लोगों को प्रत्यास्थापित करने हेतु आरक्षित की गयी है। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक वादग्रस्त भूमि चारागाह (गोचर) किस्म की नहीं है। यह भूमि पूर्व में ही सेट अपार्ट की हुई थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में खसरा संख्या 523 आगोर की भूमि में बसे लोगों को अलग बसाने के लिए सेट अपार्ट से मुक्त कर आबादी हेतु आरक्षित किया गया है जो विधिसम्मतः है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु अदालत हाजा के समक्ष सिविल प्रकिया संहिता की धारा 96 के तहत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश नहीं किया गया है और न ही दस्तावेजात की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की गयी है। मियाद प्रार्थनापत्र में अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 मई 2018 के खिलाफ 26 नवम्बर 2018 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पेश करना जाहिर किया गया, मगर 16 मई 2018 से 26 नवम्बर 2018 तक की अवधि के विलम्ब का कोई कारण ही स्पष्ट नहीं किया गया है। विलम्ब के समुचित एवं संतोषजनक कारणों के अभाव में विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत अपील मियाद-बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

प्रथमतः आलौच्य अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुमति हेतु सिविल प्रकिया संहिता की धारा 96 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने के संबंध में अपीलाण्ट्स की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका डीबी सिविल रिट पेटीशन (पीआईएल) संख्या 18850/2018 देवेन्द्र चाण्डा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 जुलाई 2019 को आधार बनाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में दिये गये निर्देश इस प्रकार है -

> Having regard to the facts of the case, the Court is of the opinion that these proceedings could not be treated as public interest litigation; in case the petitioners with to agitate their grievance in accordance with law they may do so and avail the alternative remedy of appeal.
>
> The writ petition is accordingly disposed of.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाहिर है कि अपने उक्त आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न तो अपील प्रस्तुत किये जाने के संबंध में विलम्ब बाबत और न ही अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु की जाने वाले कार्यवाही बाबत कोई दिशा-निर्देश दिये है। ऐसी स्थिति में सामान्यतः जो विधिक प्रकिया एवं प्रावधान है, उन्हीं के अनुसरण इस मामले में भी किया जाना स्वभाविक है। परिणामस्वरूप जब तक विधिवत अपीलाण्ट्स सिविल प्रकिया संहिता की धारा 96 के तहत शपथपत्र सहित प्रार्थनापत्र पेश कर स्वयं को इस मामले में वादग्रस्त भूमि में हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार होना सिद्ध नहीं करते, उन्हें आलौच्य अपील पेश करने हेतु अनुमति नहीं दी जा सकत है।

इसी प्रकार मियाद प्रार्थनापत्र में अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 मई 2018 के खिलाफ 26 नवम्बर 2018 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पेश करना जाहिर किया गया, मगर 16 मई 2018 से 26 नवम्बर 2018 तक की अवधि के विलम्ब का कोई कारण ही स्पष्ट नहीं किया गया है। विलम्ब के समुचित एवं संतोषजनक कारणों के अभाव में विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थनापत्र एवं तदनुसार अपील मियाद-बाधित होने के आधार पर मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

इसके उपरान्त भी यदि आलौच्य अपील के गुणावगुण पर विचार किया जावे तो स्पष्ट है कि -

- पूर्व में जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा आदेश कमांक प. 12(3-)राजस्व आरक्षण/2011/7063 दिनांक 24 अगस्त 2011 के जरिये फलोदी के विकास हेतु फलोदी

मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि में स्थिति ग्रामों में ग्राम कुण्डल की भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित की गयी, जिसमें वादग्रस्त आराजी भी शामिल थी।

- अपीलाण्ट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि का गोचर होने के संबंध में जिस दस्तावेज की प्रति पेश की है, वह विधि की दृष्टि में अप्रमाणित होने से ग्राह्य नहीं है। वकील अपीलाण्ट द्वारा इसकी मूल प्रति भी पेश की परन्तु इसकी प्रामाणिता बाबत इस पर जारीकर्ता सक्षम प्राधिकरण के हस्ताक्षरों का अभाव पाया गया। यह दस्तावेज संदिग्ध है और संदेह से परे ग्राह्य नहीं है।
- विद्वान जिला कलेक्टर जोधपुर के उक्त आदेश को अपीलाण्ट्स द्वारा कोई चुनौती दिया जाना जाहिर नहीं किया गया है।
- जाहिर है कि उक्त आदेश के कियान्वयन के बाद उसमें वर्णित आराजियात की राजकीय भूमियों की श्रेणी में आ गयी।
- अपीलाधीन आदेश कमांक प.12(3-)राज/आवण्टन/18/1695 दिनांक 16 मई 2018 पारित करते हुए, खसरा संख्या 473 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा (जो पूर्व आदेश में सम्मिलित था) भूमि में से 7 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी फलोदी के पत्र कमांक 1117 दिनांक 16 मई 2018 के साथ संलग्न नक्शा अनुसार सेट-अपार्ट से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मुक्त कर शेष आदेश दिनांक 24 अगस्त 2011 यथावत रखा।

- चूंकि पूर्व आदेश दिनांक 24 अगस्त 2011 के कियान्वयन से खसरा संख्या 473 की भूमि राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि दर्ज हो चुकी थी, अतः अपीलाधीन आदेश के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान लागू नहीं होते है।
- उल्लेखनीय है कि विद्वान जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा 24 अगस्त 2011 को पारित आदेश के खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा क्या और किस सक्षम न्यायालय में चाराजोई की गयी, उसके क्या परिणाम रहे, उनसे इस प्रकरण में क्या प्रभाव होता है, आदि विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। आबादी हेतु सेट अपार्ट की गयी भूमि की किस्म प्रतिबंधित श्रेणी की नहीं थी और इसलिए उसकी क्षतिपूर्ति की आवश्यकता भी नहीं थी।

समग्र विवेचन के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 मई 2018 किसी भी दृष्टि से अवैध या अवैधानिक नहीं पाया जाता है, जो यथावत रखा जाता है। फिर भी न्यायहित में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये जाने की मंशा से अपील अपीलाण्ट्स इस सीमा तक अंशत स्वीकार की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर देकर उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की प्रामाणिकता परख कर तदनुसार अपीलाधीन आदेश के संबंध में, यदि उपयुक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समझा जावे तो, समुचित निर्णय करे। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17 नवम्बर 2019 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/XI/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर